

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 03/17

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ।

—बनाम—

अजय उर्फ पिन्दु पुत्र सवाई सिंह गुर्जर, निवासी तातीजा थाना खेतड़ीनगर, जिला झुंझुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 व 2 खण्ड (ख)(1)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपरिस्थिति :-

1. श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) —————सरकार की ओर से।

—निर्णय—

दिनांक 11.03.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 07.04.2017 को गैर सायल अजय उर्फ पिन्दु पुत्र सवाई सिंह गुर्जर, निवासी तातीजा थाना खेतड़ीनगर, जिला झुंझुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि अजय उर्फ पिन्दु पुत्र सवाई सिंह गुर्जर, निवासी तातीजा थाना खेतड़ीनगर, जिला झुंझुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृत्ति का बदमाश व्यक्ति है। यह जो खेतड़ीनगर में मारपीट व लड़ाई-झगड़े का आदतन अपराधी है तथा अनावश्यक ही अपराधिक गतिविधियों से खेतड़ीनगर एवं आस-पास के इलाका में आम नागरिकों को भयभीत व आतंकित कर रखा है, इसकी अपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, जिसके द्वारा मारपीट व लड़ाई-झगड़ा कर लोगों को भयभीत किया जा रहा है। इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट देने से डरता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढ़ी व समाज पर विपरित असर पड़ रहा है। इसके खिलाफ अब तक 5 अभियोग दर्ज किये गये हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसके जिले की

सीमाओं में रहने से अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एवं दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. अभियोग संख्या 106/15 दिनांक 10.06.15 धारा 341,323 भादस थाना खेतड़ीनगर में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान नतीजा आरोप पत्र संख्या 64/15 दिनांक 30.06.15 न्यायालय में पेश किया गया। जो न्यायालय में विचाराधीन है।
2. अभियोग संख्या 20/16 दिनांक 11.02.16 धारा 143,341,323,379 भादस थाना खेतड़ीनगर में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान नतीजा आरोप पत्र संख्या 24/16 दिनांक 21.04.16 न्यायालय में पेश किया गया। जो न्यायालय में विचाराधीन है।
3. अभियोग संख्या 28/16 दिनांक 10.03.16 धारा 143,341,323 भादस थाना खेतड़ीनगर में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान नतीजा आरोप पत्र संख्या 56/165 दिनांक 30.05.16 न्यायालय में पेश किया गया। जो न्यायालय में विचाराधीन है।
4. अभियोग संख्या 180/16 दिनांक 29.08.16 धारा 143,336,427 भादस थाना खेतड़ीनगर में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान नतीजा जैर तफतीश है।
5. अभियोग संख्या 184/16 दिनांक 04.09.16 धारा 147,148,149,323,458,308 भादस थाना खेतड़ीनगर में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान नतीजा जैर तफतीश है।

इस प्रकार अजय उर्फ पिन्दु पुत्र सवाई सिंह गुर्जर, निवासी तातीजा थाना खेतड़ीनगर, जिला झुन्झुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 व 2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (1) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 19.12.2017 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे इन्कार करने पर गवाह श्री पन्नालाल गुर्जर, उ0नि0, थानाधिकारी पुलिस थाना खेतड़ीनगर झुन्झुनू के बयान लिए जाकर बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना पिलानी व थाना चिड़ावा, झुन्झुनू में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं-

1. अभियोग संख्या 106/15 दिनांक 10.06.15 धारा 341,323 भादस थाना खेतड़ीनगर में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान नतीजा आरोप पत्र संख्या 64/15 दिनांक 30.06.15 न्यायालय में पेश किया गया। जो न्यायालय में विचाराधीन है।
2. अभियोग संख्या 20/16 दिनांक 11.02.16 धारा 143,341,323,379 भादस थाना खेतड़ीनगर में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान नतीजा आरोप पत्र संख्या 24/16 दिनांक 21.04.16 न्यायालय में पेश किया गया। जो न्यायालय में विचाराधीन है।
3. अभियोग संख्या 28/16 दिनांक 10.03.16 धारा 143,341,323 भादस थाना खेतड़ीनगर में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान नतीजा आरोप पत्र संख्या 56/165 दिनांक 30.05.16 न्यायालय में पेश किया गया। जो न्यायालय में विचाराधीन है।
4. अभियोग संख्या 180/16 दिनांक 29.08.16 धारा 143,336,427 भादस थाना खेतड़ीनगर में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान नतीजा जैर तपतीश है।
5. अभियोग संख्या 184/16 दिनांक 04.09.16 धारा 147,148,149,323,458,308 भादस थाना खेतड़ीनगर में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान नतीजा जैर तपतीश है।

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 3 व 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) में अंकित धारा के अधीन 5 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुन्झुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक गैरसायल अजय उर्फ पिन्दु पुत्र सवाई सिंह गुर्जर, निवासी तातीजा थाना खेतड़ीनगर, जिला झुन्झुनू के खिलाफ पुलिस थाना खेतड़ीनगर झुन्झुनू में, अभियोग संख्या 106/15 दिनांक 10.06.15 धारा 341,323 भादस थाना खेतड़ीनगर, अभियोग संख्या 20/16 दिनांक 11.02.16 धारा 143,341,323,379 भादस थाना खेतड़ीनगर, अभियोग संख्या 28/16 दिनांक 10.03.16 धारा 143,341,323 भादस थाना खेतड़ीनगर, अभियोग

संख्या 180/16 दिनांक 29.08.16 धारा 143,336,427 भादस थाना खेतड़ीनगर, व अभियोग संख्या 184/16 दिनांक 04.09.16 धारा 147,148,149,323,458,308 भादस थाना खेतड़ीनगर दर्ज है। जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है। इनमें से 3 प्रकरणों की चार्जशीट न्यायालय में पेश हुई थी। जो न्यायालय में विचाराधीन है। तथा 2 प्रकरण जैर तफतीश है। गैर सायल अजय उर्फ पिन्दु राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 5 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। जिसका लगातार ऐसा राज0 आबकारी अधिनियम के तहत अपराध करना आवश्यक नहीं है। धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यू होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर्ता व चालान पेशकर्ता का आकर साबित करना आवश्यक नहीं है तथा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लिखित सूचना पर धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति में पुनः लगकर युवा पीढ़ी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (II) में अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल अजय उर्फ पिन्दु को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूँ।

अतः अजय उर्फ पिन्दु पुत्र सवाई सिंह गुर्जर, निवासी तातीजा थाना खेतड़ीनगर, जिला झुन्झुनू को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (II) के तहत 1 माह की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा तथा गैर सायल अजय उर्फ पिन्दु उक्त 1 माह की निष्कासित अवधि में जहाँ भी निवास करे, उस स्थानीय थानाधिकारी को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना पुलिस थाना खेतड़ीनगर, झुन्झुनू को देंगे तथा थानाधिकारी थाना खेतड़ीनगर झुन्झुनू उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक

5

11.03.2020 के पश्चात 15 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुंझुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

48
11.03.2020

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।



48
11.03.2020

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू